न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 34/2021

1. जगतार सिह पुत्र काकू सिह जाति मजहबी साकिन 4 एल. के.एस–बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ. राजस्थान।
2. गुरजंट सिंह पुत्र काकू सिह जाति मजहबी साकिन 4 एल.के.एस–बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ, राजस्थान ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. काकू सिंह पुत्र श्री गुलजार सिह पुत्र नारायण सिह जाति मजहबी साकिन 4 एल.के. एस–बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ. राजस्थान।
2. जीत सिह पुत्र काकू सिह जाति मजहबी साकिन 4 एल.के.एस–बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ. राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया –– प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा। ––अप्रार्थी सख्या 3

–:: निर्णय :–

दिनांक:–20-05-2025

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी श्री जसपाल सिंह दहिया की ओर से अप्रार्थीगणके विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पंजीकृत व प्रमाणित पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित है। यह कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 एल.के.एस–बी के मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 चालू के खाता स. 7/6 प.न. 10/277 मु.न. 35 के किला न. 1, 2/1/215, 9/1/.215, 10, 11, 12/1/215, 19/1/215, 20, 21, 22/1/.152 2.277 हैक. अ. क मय गैर मु. रास्ता कृषि भूमि अप्रार्थी स. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी कृषि भूमि अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमांबदी पेश है।

यह कि प्रार्थीगण के दादा गुलजार सिंह पुत्र नारायण सिह के नाम से तत्कालीन तहसील सूरतगढ के चक 4 एल.के.एस हाल तहसील पीलीबंगा के चक 4 एल.के.एस–बी के प.न. 10/277 के किला न. 1 ता 25 व प.न. 11/277 के किला न. 1 ता 4, 6 ता 22, प.न. 10/278 के किला न. 1 ता 4, 10 इस प्रकार कुल 44 बीघा 1 बिस्वा अ.क व 1 बीघा 13 बिस्वा गैर मु. कुल तादादी 45 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड ... साथ जमाबदी (खेवट खतौनी) पेश है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:54:36 IST
Reason: SelfAttested

सजरा खानदान प्रस्तुत किया ... हंसू सिह, काकू सिह, गुल्ला सिह, बीबो, लीलो वारिस ... काकू सिंह के वारिस है, उक्त काकू सिंह ... जगतार सिहं, जीत सिंह गुरजंट सिहं, कर्मजीत कौर कानूनी वारिस हैं। यह कि प्रार्थना पत्र दफा 4 में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 4 एल.के.एस–बी के प.न. 10/277 के किला न. 1 ता 25 व प.न. 11/277 के किला न. 1 ता 4, 6 ता 22, प.न. 10/278 के किला न. 1 ता 4, 10 इस प्रकार कुल 44 बीघा 1 बिस्वा अ.क. व 1 बीघा 14 बिस्वा गैर मु. कुल तादादी 45 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि गुलजार सिंह के फौत होने के पश्चात उपरोक्त 45 बी 14 बिस्वा अर्थात

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

11.561 हैक्. भूमि अप्रार्थी स. 1 काकू सिह व उसके दोनो भाईयो हंसू सिह उर्फ हरू सिह व गुला सिह को ब.हि.ब विरास्तन प्राप्त हुई, प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 1 व 2 सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिसके कर्ता खानदार अप्रार्थी स. 1 है, अप्रार्थी स. 1 को अपने पिता से विरास्तन प्राप्त सम्पति की आमदनी से चक 4 एल.के.एस में प्रार्थीगण के ताउ से 0.633 हैक्. कृषि भूमि जरिये बैयनामा सन 1973 में अप्रार्थी स. 1 के नाम से खरीद की गई, तथा इसके अलावा दिनांक 29.07.1974 को 0.253 हैक्. कृषि भूमि हसूं सिह से जरिये बैयनामा अप्रार्थी स. 1 के नाम खरीद की गई।

यह कि प्रार्थीगण के ताउ श्री हंसू सिह उर्फ हरू सिह से प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 1 व 2 ने पैतृक सम्पति व संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से उसकी शेष रही 2.083 हैक्. भूमि खरीद की तथा अरायजीनवीस की राय से उपरोक्त भूमि हंसू सिह को विरास्तन प्राप्त होने व मुच्तरका खाता होने से बैयनामा खर्चा नही लगे इस कारण अप्रार्थी स. 1 के नाम दस्वरदारी करवाई गई, इस प्रकार उपरोक्त अप्रार्थी स. 1 के नाम चक 4 एल. के. एस बी के प.न. 10/277 के मु.न. 35 के किला न. 1 ता 25, प.न. 10/278 के किला न. 1 ता 4 व 10 कुल 6.995 हैक्. भूमि पैतृक सम्पति थी, जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 1 व 2 व हमारी बहिन कर्मजीत कौर का ब.हि.ब. का हक व हिस्सा था, तथा प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा था, जिसमें से अप्रार्थी स. 1 ने अपने व अपनी पुत्री कर्मजीत कौर के हिस्से से भी अधिक कृषि भूमि को दिनांक 20.05.2014 को जरिये दान पत्र कर्मजीत कौर के नाम 4.668 हैक्. कृषि भूमि दान कर दी जो राजस्व रिकार्ड में उक्त चक 4 एल.के.एस बी के प.न. 10/277 के किला न. 2/038, 3 ता 8, 9/038, 12/038, 13 ता 18, 19/038, 22/1/101, 23, 24, 25/202, व प.न. 10/278 के किला न. 1/ 228, 2/215, 3/ 126, 4/.051, 10/.051 कुल 4.668 हैक्. कृषि भूमि हम प्रार्थीगण की बहिन कर्मजीत कौर के नाम अलग खाता में दर्ज हो चुकी हैं, इसलिये प्रार्थीगण की बहिन कर्मजीत कौर को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 ता 6 में वर्णित कृषि भूमि हम प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 1 व 2 की पैतृक कृषि भूमि है व उक्त पैतृक कृषि भूमि में से अप्रार्थी स. 1 ने अपना हक व हिस्सा पूर्व में अपनी पुत्री कर्मजीत कौर के नाम करवा दिया है, इसलिये प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी स. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है व उक्त दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि हम प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 2 के कब्जा काश्त में है, इसलिये उक्त कृषि भूमि में हम प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 2 ब.हि.ब के मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने के अधिकारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 ता 7 में वर्णित उक्त कृषि भूमि हम प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें अप्रार्थी स 1 व 2 जिसको दखंज अंदाजी करने व रहन बैय करने पर उतारू है, अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को हुये नुकसान की पूर्ती खर्चा हरजाना से नही हो पायेगी, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है, एंव अपूर्णीय क्षति भी हम प्रार्थीगण को अधिक हो रही है, इसलिये हम प्रार्थीगण अपने कब्जाशुदा कृषि भूमि में इस आश्य का अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 4 एल.के.एस–बी के मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 चालू के खाता स. 7/6 प.न. 10/277 मु.न. 35 के किला न. 1, 2/1/215, 9/1/.215, 10, 11, 12/1/215, 19/1/215, 20, 21, 22/1/.152 कुल 2.277 हैक्. अ.क कृषि भूमि में ता फैसला वाद मौका व रिकार्ड की यथास्थिति [illegible] प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 4 एल.के.एस–बी के मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 चालू के खाता स. 7/6 प.न. 10/277 मु.न. 35 के किला न. 1, 2/1/215, 9/1/215, 10, 11, 12/1/215, 19/1/215, 20, 21, 22/1/.152 2.277 . अ.क कृषि भूमि में ता फैसला वाद मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करे।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:54:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया हाजिर नही होने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

—::आदेश::—

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत रकबा के संबंध में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। हकों के संबंध में मूल वाद जैरकार है। प्रार्थीगण अपने हक्क व हिस्सा की भूमि पर कब्जा काश्त है। अस्थाई निषेधाज्ञा पारित हुए 4 वर्ष का समय हो गया है। अप्रार्थी रिकार्डिड खातेदार है इस लिए प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपरणीय क्षति के बिन्दु प्रमाणित नहीं होते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा 15.03.21 भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेष आज दिनांक 20-05-25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:54:36 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा